ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/6095/2004/चित्तौड़गढ़ भंवरी बनाम हरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री अशोक नाथ योगी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय

दिनांकः12–12–2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील सं0 167/2002 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 27–09–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादिया ने उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 88,53 व 188 का विवादित आराजी बाबत् पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 के सुयंक्त खातेदारी में अंकित है। प्रतिवादी सं0 1 हरा व स्व0 किशना की दोनों सगे भाई होकर तारूजी के पुत्र है। विवादित आराजी पूर्व में प्रतिवादी सं0 1 एवं किशनाजी की संयुक्त खातेदारी में थी। किशना के वादिया एक मात्र संतान है। इसलिए वादिया के किशना की पुत्री होने के कारण किशना जी की समस्त हिस्से की उत्तराधिकारी वादिया होकर भूमि अपने नाम करवाने की अधिकारी है। वादिया ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं0 1 हरा को काका होने के कारण सुपुर्द कर रखी, जिसका नाजायज फायदा उठाकर उसने भूमि अपने नाम करवा ली जबकि खसरा नं0 133,914,1069/1 कुल खसरा 4 क्षैत्रफल 3.08 हैक्टेयर में 1/2 भाग की और शेष में 1/2 के 1/2

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/6095/2004/चित्तौड़गढ़ भंवरी बनाम हरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अर्थात 1/4 हिस्से की खातेदारी पाने की अधिकारिणी है। वादिया ने उक्त भूमि को अपने नाम करवाने कहा तो वह इन्कार हो गया। प्रतिवादी इसे हस्तातंतरित करना चाहता है इसलिए उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है, अतः विवादित भूमि 133,134,914,1069/1 में वादिया का 1/2 हिस्सा तथा खसरा नं0 916,917 में वादिया का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर विभाजन करवाया जावें तथा प्रतिवादी सं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किए। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जवाब पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष के अलावा 6 विवाद बिन्दू निर्धारित किए। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–07–2002 द्वारा वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–09–2004 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–07–2002 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी/वादिया द्वारा दावा खातेदार किशना की पुत्री होने के आधार पर लाया गया है। वाद में मुख्य विवाद का बिन्दू यह है कि वादिया किशना की पुत्री है अथवा नहीं। विचारण न्यायालय द्वारा	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/6095/2004/चित्तौड़गढ़ भंवरी बनाम हरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस संबंध में जो निष्कर्ष अंकित किया गया राजस्व अपील प्राधिकारी ने साक्ष्य का विवेचन करते हुए उन्हें उपयुक्त नहीं मानते हुए वादिया का स्वर्गीय किशना की पुत्री होना सिद्ध नहीं माना तथा माना कि विचारण न्यायालय को वादिया के स्व0 किशना की पुत्री होने के प्रश्न को सक्षम सिविल न्यायालय से निर्धारित करवाना चाहिए था। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर वादिया को प्रतिवादी हरा के हिस्से में से 1/2 हिस्से की अधिकारिणी मानकर वाद डिक्री करने में त्रुटि की है। हमारी सुविचारित राय में मूल प्रश्न वादिया भंवरी के किशना की पुत्री होने पर ही आधारित है, ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का निर्णय करवाया जाना आवश्यक है और इस परिप्रेक्ष्य में राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय पूर्णतया उचित एवं विधिसम्मत है। अतः हम द्वितीय अपील को खारिज किया जाना उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–09–2004 की पुष्टि की जाती है। चूँकि प्रकरण मण्डल में 2004 से लंबित है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे वाद में यथाशीघ्र निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मोडूदान देथा) (शिखर अग्रवाल) सदस्य सदस्य	